

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना  
सं० 87/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 17 नवंबर, 2017

सा०का०नि० (अ)- केंद्र सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 50/2017-सीमा शुल्क, तारीख 30 जून, 2017, सा.का. नि. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

- (i) क्रम सं० 57 में, स्तंभ (3) में मद ॥ के खंडों (क), (ख) और (ग) के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि "15%" के स्थान पर प्रविष्टि "30 %" प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (ii) क्रम सं० 61 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि "17.5%" के स्थान पर प्रविष्टि "30%" प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (iii) क्रम सं० 62 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि "20%" के स्थान पर प्रविष्टि "35%" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- (iv) क्रम सं० 63 में स्तंभ (2) की प्रविष्टि क्रमशः "1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514 या 1515 " के स्थान पर प्रविष्टि "1508, 1509, 1510, 1512 (1512 11 10 से भिन्न), 1513, or 1515" प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (v) क्रम सं० 64 में स्तंभ (2) की प्रविष्टि क्रमशः "1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514 या 1515" के स्थान पर "1508, 1509, 1510, 1512 (1512 19 10 से भिन्न), 1513, या 1515" प्रतिस्थापित की जाएगी ;
- (vi) क्रम सं० 65 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि "25%" के स्थान पर प्रविष्टि "40%" प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(vii) क्रम सं० 70 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि “12.5%” के स्थान पर प्रविष्टि “25%” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(viii) क्रम सं० 71 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि “20%” के स्थान पर प्रविष्टि “35%” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(ix) क्रम सं० 73 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि “12.5%” के स्थान पर प्रविष्टि “25%” प्रतिस्थापित की जाएगी ;

(x) क्रम सं० 74 में स्तंभ (4) की प्रविष्टि “20%” के स्थान पर प्रविष्टि “35%” प्रतिस्थापित की जाएगी;

(फा.सं.354/203/2012-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं० 50/2017 -सीमाशुल्क , दिनांक 30 जून 2017 को सा० का० नि० 785 (अ) , दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राज-पत्र , असाधारण , के भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं० 85/2017 - सीमाशुल्क, दिनांक 14 नवम्बर 2017 ,जिसे सा० क० नि० 1403 (अ) के द्वारा संशोधन किया गया है।